

५४
२०२१

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर०
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुरार
श्रीमान/ २०२२०० के गांव डुडमा की जमाबन्दी/ जिन २०२५-२८ के जमाबन्दी २७२, ३०८, ३०९, ४३१
के प्रहलाद पुं कापुण्ड ५०२ के रिपोर्ट गलत का चार्ज काई व पेन काई के प्रहलाद पुं
पुं कापुण्ड ५०२ के रिपोर्ट गलत प्रहलाद पुं कापुण्ड के गांव के प्रहलाद पुं कापुण्ड पुं
डुडमा के रिपोर्ट गलत प्रहलाद पुं कापुण्ड के रिपोर्ट गलत प्रहलाद पुं कापुण्ड पुं
कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी

क्रमांक - राजस्व/२०२०/

२५/१०/२१

दिनांक -

२५-१०-२१
PR

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/ उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

२५/१०/२१

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी
तहसीलदार गुदा गौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :- २५/१०/२१

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, १९५६ की धारा १३६ के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
१	डुडमा	२०२५-२८	२७२ ३०८ ३०९ ४३१	प्रहलाद पुं कापुण्ड ५०२	प्रहलाद पुं कापुण्ड ५०२

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

२५/१०/२१
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/२०२०/ ३५६-५७
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- २५/१०/२१

१. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
२. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

२५/१०/२१
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी